अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना

डाण्डा लखौण्ड, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून –248001
ई–मेल: ayushmanuttarakhand@gmail.com

अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना की अध्यक्षता में दिनांक–14 अगस्त 2019 को 3 बजे आहुत कार्यकारिणी समिति की बैठक का कार्यवृत्तः–

पत्रांक–अ0आ0उ0यो0 / कार्यवृत्त / 2019–20 / 495 दिनांकः– 17.08.19

बैठक में उपस्थित कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का विवरण–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
2. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड के प्रतिनिधि।
3. निदेशक, प्रशासन, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
4. निदेशक, वित्त, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
5. निदेशक, मेडिकल एवं क्वालिटी, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।

अन्य प्रतिभागियों का विवरण–

1. प्रशासनिक अधिकारी, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
2. वरिष्ठ वित्त प्रबंधक, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
3. आई0टी0 सह डाटा प्रबंधक, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
4. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रबंधक, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
5. राज्य समन्वयक, कियान्वयन सहायता एजेंसी।

उक्त बैठक में निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई एवं निर्णय लिए गए जिनका विवरण निम्नानुसार है:

1. कार्यकारिणी समिति की दिनांक 17 जून 2019 को आहुत बैठक के जारी कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

2. कार्यकारिणी समिति की पूर्व में आहुत बैठकों के जारी कार्यवृत्तों पर अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत संचालित समस्त प्रकोष्ठों से Action Taken Report प्राप्त कर आगामी कार्य–समिति की बैठक में रखे जाने हेतु निर्णय लिया गया।

   (कार्यवाही– निदेशक, प्रशासन)

3. राज्य स्वास्थ्य अभिकरण में स्टाफ की रिक्तियों को भरे जाने हेतु तैयार आर0एफ0पी0 की पत्रावली तत्काल मुख्य कार्यकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

   (कार्यवाही– निदेशक, प्रशासन)

4. Pre-authorization से लेकर क्लेम के भुगतान एवं उन्हें अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में समयसारिणी सहित तैयार SOP (Standard Operating Procedures) के सम्बन्ध में बैठक में चर्चा की गयी। पत्रावली पर प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए सक्षम स्तर से दिनांक 25 अगस्त 2019 तक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये। (कार्यवाही–निदेशक, प्रशासन)

5. ऐसे हॉस्पिटल जिनके क्लेम्स के भुगतान को रोका गया है, के संबंध में लंबित जाँच पूर्ण करते हुए दिनांक 25 अगस्त 2019 तक पत्रावली मुख्य कार्यकारी अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत की जाये। (कार्यवाही– State Anti-Fraud Unit)

6. कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 17 जून 2019 में बिंदु संख्या 18 व 19 में निम्न निर्णय लिये गए थे:–

''बिंदु संख्या 18:– कियान्वयन सहायता एजेंसी द्वारा किये जा रहे प्रतिदिन के Pre-auth approval/rejections, Claims approval/rejections एवं Queries का सुपरविजन प्रतिदिन के आधार पर किया जायेगा। इस सम्बन्ध में एक व्यवस्था विकसित करके पत्रावली प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही– SAFU)

बिंदु संख्या 19:– कियान्वयन सहायता एजेंसी द्वारा Pre-auth/Claim processing/queries/rejection के सम्बन्ध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की गाइडलाइन्स के आधार पर तथा अभी तक के अनुभव के आधार पर एक Standardized list तैयार कर के पत्रावली पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(कार्यवाही–SAFU)''

उक्त दोनों बिंदुओं पर किये जाने वाली कार्रवाई दिनांक 31 अगस्त 2019 तक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाये। (कार्यवाही– State Anti-Fraud Unit)

7. अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध एम0पी0 मेमोरियल हॉस्पिटल, काशीपुर ऊधमसिंह नगर को निर्गत कारण बताओ नोटिस सं0 अ0आ0उ0यो0/2019–20/322 दिनांक 04 जुलाई 2019 के क्रम में प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत निर्गत आदेश के उपरांत कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कार्यकारिणी समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। प्रकरण पर समिति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। (कार्यवाही– निदेशक, प्रशासन)

8. अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध जनसेवा हॉस्पिटल, सिद्दीकी मार्केट, काशीपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर को निर्गत कारण बताओ नोटिस के संबंध में प्राप्त उत्तर के निस्तारण के संबंध में जारी आदेश सं0 अ0आ0उ0यो0/2019–20/356 दिनांक 11 जुलाई 2019 के कम में प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत निर्गत आदेश के उपरांत कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कार्यकारिणी समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। प्रकरण पर समिति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। (कार्यवाही– निदेशक, प्रशासन)

9. अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध कृशन हॉस्पिटल, रुद्रपुर जनपद ऊधमसिंह नगर को निर्गत कारण बताओ नोटिस के संबंध में प्राप्त उत्तर के निस्तारण के संबंध में जारी आदेश सं0 अ0आ0उ0यो0/2019–20/355 दिनांक 11 जुलाई 2019 के क्रम में प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत निर्गत आदेश के उपरांत कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कार्यकारिणी समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। प्रकरण पर समिति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। (कार्यवाही– निदेशक, प्रशासन)

10. अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अली नर्सिंग होम, अली खान चौक, काशीपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर को निर्गत कारण बताओ नोटिस के संबंध में प्राप्त उत्तर के निस्तारण के संबंध में जारी आदेश सं0 अ0आ0उ0यो0/2019–20/369 दिनांक 16 जुलाई

17.08.19

2019 के क्रम में प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत निर्गत आदेश के उपरांत कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कार्यकारिणी समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। प्रकरण पर समिति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। (कार्यवाही– निदेशक, प्रशासन)

11. अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध जीवन ज्योति हॉस्पिटल, टिक्कमपुर–सुल्तानपुर, लक्सर रोड, हरिद्वार को निर्गत कारण बताओ नोटिस के संबंध में प्राप्त उत्तर के निस्तारण के संबंध में जारी आदेश सं0 अ0आ0उ0यो0/2019–20/404 दिनांक 25 जुलाई 2019 के क्रम में प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत निर्गत आदेश के उपरांत कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कार्यकारिणी समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। प्रकरण पर समिति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। (कार्यवाही– निदेशक, प्रशासन)

12. अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध विनोद आर्थो क्लीनिक, 6–इंदर रोड, देहरादून को निर्गत कारण बताओ नोटिस के संबंध में प्राप्त उत्तर के निस्तारण के संबंध में जारी आदेश सं0 अ0आ0उ0यो0/2019–20/406 दिनांक 25 जुलाई 2019 के क्रम में प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत निर्गत आदेश के उपरांत कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कार्यकारिणी समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। प्रकरण पर समिति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। (कार्यवाही– निदेशक, प्रशासन)

13. अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध देवकी नंदन, तहसील रोड, काशीपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर को निर्गत कारण बताओ नोटिस के संबंध में प्राप्त उत्तर के निस्तारण के संबंध में जारी आदेश सं0 अ0आ0उ0यो0/2019–20/465 दिनांक 09 अगस्त 2019 के क्रम में प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत निर्गत आदेश के उपरांत कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कार्यकारिणी समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। प्रकरण पर समिति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। (कार्यवाही– निदेशक, प्रशासन)

14. विनोद आर्थो क्लीनिक, 6–इंदर रोड, देहरादून को निर्गत आदेश सं0 अ0आ0उ0यो0/2019–20/406 दिनांक 25 जुलाई 2019 के सापेक्ष चिकित्सालय द्वारा पुनः review करने हेतु दिनांक 31 जुलाई 2019, 01 अगस्त 2019 व 02 अगस्त 2019 को प्राप्त अनुरोध पत्र पर विस्तृत चर्चा की गई। संबंधित चिकित्सालय द्वारा राज्य स्वास्थ्य अभिकरण में उक्त जारी आदेशों पर review करने हेतु अनुरोध करने के उपरांत सिविल कोर्ट में याचिका दायर की। जिस पर विधिक राय ली जाये। अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत legal advisor रखे जाने का भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये। कार्रवाई दिनांक 25 अगस्त 2019 तक कर ली जाये। (कार्यवाही– निदेशक, प्रशासन)

15. अली नर्सिंग होम, अली खान चौक, काशीपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर को निर्गत आदेश सं0 अ0आ0उ0यो0/2019–20/369 दिनांक 16 जुलाई 2019 के सापेक्ष चिकित्सालय द्वारा पुनः review करने हेतु दिनांक 25 जुलाई 2019 को प्राप्त अनुरोध पत्र पर चर्चा की गई। जिस पर संबंधित चिकित्सालय द्वारा review करने हेतु प्राप्त अनुरोध पर legal advise ली जाये।
(कार्यवाही– निदेशक, प्रशासन)

16. जनसेवा हॉस्पिटल, सिद्दीकी मार्केट, काशीपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर को निर्गत आदेश सं0 अ0आ0उ0यो0/2019–20/356 दिनांक 11 जुलाई 2019 के सापेक्ष चिकित्सालय द्वारा पुनः review करने हेतु दिनांक 22 जुलाई 2019 को प्राप्त अनुरोध पत्र पर चर्चा की गई। जिस पर विधिक राय ली जाये। **(कार्यवाही– निदेशक, प्रशासन)**

17. अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के वित्तीय वर्ष 2018–19 व 2019–20 के प्रशासनिक व्यय हेतु बजट आवंटन की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया। बजट पर पुनः विचार करके आगामी बैठक में कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया। **(कार्यवाही– निदेशक, वित्त)**

18. राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA) का ऑडिट भी कराया जाये। संबंधित कार्यवाही हेतु पत्रावली तैयार कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी के सम्मुख दिनांक 23 अगस्त 2019 तक प्रस्तुत की जाये। **(कार्यवाही– निदेशक, वित्त)**

19. Beneficiary Verification, Third Party Evaluation, IEC training, Capacity building support आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से करने हेतु प्रस्ताव तैयार किया जाये। **(कार्यवाही– निदेशक, प्रशासन)**

20. राज्य सरकार को प्रेषित राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी हेतु प्रस्ताव पर संशोधन करते हुए नवीन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये जिसमें योजना के अंतर्गत Non-SECC परिवारों हेतु केवल उन्हीं पैकेज हेतु राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी हो जिनका ईलाज उत्तराखण्ड राज्य के अंतर्गत सूचीबद्ध चिकित्सालयों में संभव न हो अथवा अपर्याप्त हो।

(कार्यवाही– निदेशक, प्रशासन/निदेशक, मेडिकल एवं क्वालिटी)

21. योजना कार्यालय स्थापित करने पर चर्चा की गई। जिस पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के मार्गदर्शन में विज्ञापन संबंधित आवश्यक कार्यवाही पूर्ण की जाये। **(कार्यवाही– निदेशक, प्रशासन)**

22. श्री महंत इंद्रेश चिकित्सालय को निर्गत आदेश संख्या अ0आ0उ0यो0/2019–20/357 दिनांक 12 जुलाई 2019 एवं अनुस्मारक पत्र संख्या अ0आ0उ0यो0/2019–20/468 दिनांक 09 अगस्त 2019 के उपरांत भी चिकित्सालय द्वारा उन पर लगाए गए अर्थदण्ड रु0 1182500/– जमा नहीं किये गए हैं। जिस क्रम में चिकित्सालय को भुगतान हेतु लंबित क्लेम धनराशि से अर्थदण्ड की वसूली की आवश्यक कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही– निदेशक, क्लेम मैनेजमेंट)

23. अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध ऐसे चिकित्सालय जिनके द्वारा योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध होने की तिथि से आतिथि तक शून्य क्लेम किये गए हैं, की एक बैठक आयोजित की जाये। **(कार्यवाही– निदेशक, प्रशासन)**

17.08.19

24. अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत अनुबंधित कियान्वयन सहायता एजेंसी द्वारा प्रस्तुत बिलों के भुगतान हेतु पत्रावली तैयार कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही– निदेशक, वित्त)

अन्त में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना

पत्रांक–अ0आ0उ0यो0 / कार्यवृत्त / 2019–20 /   तद्दिनाँकित।

प्रतिलिपिः

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन के सादर संज्ञानार्थ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
3. महानिदेशक, चि0स्वा0 एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, प्रशासन, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
5. निदेशक, वित्त, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
6. निदेशक, क्लेम मैनेजमेंट, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
7. निदेशक, मेडिकल एवं क्वालिटी, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
8. आई0टी0 सह डाटा प्रबंधक, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना को उक्त कार्यवृत्त वेबसाईट में अपलोड करने की आवश्यक कार्यवाही हेतु।

17.09.19

(डा0 अभिषेक त्रिपाठी)
निदेशक–प्रशासन
अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना

अनुमोदित।

(दिलीप कुमार कोटिया)
अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति
अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना